राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 3068/मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019, रायपुर, दिनांक 14/03/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह सदस्य सचिव
प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला रायगढ़।

विषय :– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) के तहत प्राप्त ब्याज की राशि से सेनेटरी नेपकीन बनाने वाली मशीन क्रय करने संबंध में मार्गदर्शन देने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/8120/जिस्वभामि/जि.पं./2019 रायगढ़, दिनांक 18.02.2019।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सेनेटरी नेपकीन निर्माण मशीन के क्रय हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि **मार्गदर्शिका के पैरा क्रमांक 13.3 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राशि पर अर्जित होने वाला ब्याज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत प्रदायित राशि के ही भाग होगें।** अतः अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग मार्गदर्शिका अंतर्गत उल्लेखित घटकों हेतु ही किया जा सकता है।

अतः सेनेटरी नेपकीन निर्माण मशीन का क्रय स्वच्छ भारत मिशन की राशि पर अर्जित ब्याज की राशि से नहीं किया जा सकता है।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 3069/मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019, रायपुर, दिनांक 14/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष, प्रबंधन समिति, जि.स्व.भा.मि.ग्रा., जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner